

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती शकुन्ता चौधरी आर्यागुप्त

प्रकरण सं० : 1/2022

अनवान :

1. रतनलाल पुत्र हरदयाल जाति जाट निवासी गदरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. देवीलाल पुत्र हीराराम जाति जाट निवासी गदरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

:- वादीगण

ब न म

1. कमला पुत्री हीराराम पत्नी हरीसिंह जाति जाट निवासी गदरा हाल निवासी बुंगी तहसील राजगढ़ जिला चूरु।

2. राजवीर
3. धर्मवीर
4. इन्द्रावती
5. कलावती
6. मनोज
7. नीलम

पुत्र-पुत्रियान सदाकौरी पत्नी राममूर्ति पुत्री हीराराम जाति जाट निवासीगण गदरा तहसील भादरा हाल निवासी चनाण तहसील भादरा

8. धर्मपाल
9. सुरेन्द्र
10. प्रताप
11. सुनीता

पुत्र-पुत्रियान नाथी पत्नी जुगलाल पुत्री हीराराम जाति जाट निवासीगण गदरा हाल निवासीगण बुंगी तहसील राजगढ़ जिला चूरु

12. रणधीर
13. कैलाश
14. जगतपाल
15. सिलोचना

पुत्र-पुत्रियान शांती पत्नी जगदीश पुत्री हीराराम जाति जाट निवासीगण गदरा हाल चनाण तहसील भादरा

16. परमेश्वरी पुत्री हरदयाल पत्नी राजेन्द्र जाति जाट निवासी गदरा हाल निवासी मलखेड़ा तहसील भादरा।

17. रामप्यारी पुत्री हरदयाल पत्नी हरीसिंह जाति जाट निवासी गदरा हाल निवासी मलखेड़ा तहसील भादरा।

क कलक्टर
ट ट्रैक) भादरा

18. शारदा पुत्री हरदयाल पत्नी ओमप्रकाश जाति जाट निवासी गदरा हाल निवासी मलखेडा तहसील भादरा ।
19. राजबाला पुत्री हरदयाल पत्नी ओमप्रकाश जाति जाट निवासी गदरा हाल निवासी मलखेडा तहसील भादरा ।
20. अजीतसिंह पुत्र मेहरचंद जाति जाट निवासी गदरा तहसील भादरा ।
21. भारतीय स्टेट बैंक शाखा छानीवडी जरिऐ शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक शाखा छानीवडी तहसील भादरा ।
22. राजस्थान सरकार जरिऐ-तहसीलदार (राजस्व) भादरा ।

:- प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट-ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री पवन सिहाग एवं वकील प्रतिवादीगण श्री रोहताश शर्मा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी सावित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा गदरा के खाता सं० 38/14 के खसरा नं० 166 की 15.1760 है०, खसरा नं० 191 की 0.9480 है०, खसरा नं० 253 की 1.1630 है०, खसरा नं० 278 की 3.0350 है०, खसरा नं० 281 की 1.0750 है०, खसरा नं० 282 की 2.4150 है०, खसरा नं० 48 की 1.8970 है० कुल 7 खसरा की कुल 25.7090 हैक्टर वारानी खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। यही विनाय दावा है। जिसमें वादी सं० 1 रतनलाल के नाम 1983/25709 हिस्सा, वादी सं० 2 देवीलाल के नाम 8904/25709 हिस्सा, प्रतिवादी सं० 1 कमला के नाम 1343/25709 हिस्सा, प्रतिवादी सं० 2 ता 7 प्रत्येक का 1343/154254 हिस्सा, प्रतिवादी 8 ता 11 प्रत्येक का 1343/102836 हिस्सा, प्रतिवादी सं० 12 ता 15 प्रत्येक का 1343/102836 हिस्सा, प्रतिवादी सं० 16 ता 19 प्रत्येक का 1983/25709 हिस्सा व प्रतिवादी सं० 20 का 1518/25709 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में मुताबिक जमाबन्दी खातेदारी दर्ज है, उक्त वर्णित वाद भूमि में से प्रतिवादी सं० 1 ता 14 के नाम दर्ज कृषि भूमि में से उनका नाम कलमजन कर वादी सं० 1 रतनलाल 4.33325 है० व वादी सं० 2 देवीलाल 11.590 है० कृषि भूमि के खातेदार घोषित किए जाते हैं तथा प्रतिवादी सं० 15 ता 20 का हक हिस्सा मुताबिक राजस्व रिकार्ड यथावत रखा जावे। यदि प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 के नाम कृषि भूमि बैंक के रहन है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 14 के रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्च वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक ...11.05.22... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।




 सहायक कलक्टर
 (शकुन्तला चौधरी)

R.A.S.
 सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
 भादरा, जिला हनुमानगढ़